राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 611/2025

डॉ. राधेश्याम सुमन

–अपीलार्थी

बनाम

1. शासन उप सचिव, पशुपालन विभाग, राजस्थान–सरकार, जयपुर।
2. निदेशक, पशुपालन/गोपालन विभाग, आगरा रोड, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 20.01.2025
आदेश की दिनांक : 05.02.2025

अपीलार्थी की ओर से : **श्री उम्मेद सिंह तंवर, अधिवक्ता**

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलो के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी की नियुक्ति चयन प्रक्रिया अपनाकर पशु चिकित्सक के पद पर जून 2009 में की गई थी। जिसकी पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 10.06.2009 को कार्यग्रहण किया। तब से अपीलार्थी उक्त पद पर बिना किसी शिकायत के वर्तमान स्थान पर कार्यरत है। अपीलार्थी पशु चिकित्सा अधिकारी के पद पर राजकीय पशु चिकित्सालय, पनवाड़, झालावाड़ में कार्यरत् है। अपीलार्थी स्वीकृत व रिक्त पद पर कार्यरत् है। प्रत्यर्थी संख्या । ने आलौच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण राजकीय पशु चिकित्सालय, पनवाड़ से बीवीएचओ छबड़ा जिला बारां में वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी के पद विरूद्ध पदस्थापित किया गया है। अपीलार्थी का बिना रिक्त पद के पद विरुद्ध स्थानान्तरण किया गया है। (अनुलग्नक–1) अपीलार्थी पशु चिकित्सक के पद पर कार्यरत् है तथा अपीलार्थी स्वीकृत व रिक्त पद पर कार्यरत् है। अपीलार्थी के स्थान पर किसी भी पशु चिकित्सक का पदस्थापन नहीं किया गया है। आलौच्य आदेश के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण बीवीएचओ पशु छबड़ा जिला बारां में पदस्थापित किया गया है। जहां पर पशु चिकित्सक का पद रिक्त नहीं है। इसलिए

अपीलार्थी को वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी के पद विरूद्ध पदस्थापित किया गया है। स्थानान्तरित स्थान पर पशु चिकित्सा अधिकारी का पद रिक्त नहीं है। माननीय अधिकरण ने अपील सं. 1017/2023 नरेन्द्र कुमार शर्मा बनाम वित्त विभाग में दिनांक 28.02.2023 को समान तथ्यों पर स्थगन आदेश जारी किया है। अपीलार्थी का प्रकरण भी समान तथ्यों पर आधारित है। उक्त आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है। (अनुलग्नक–1) अपीलार्थी के पिता को भूलने की बीमारी है तथा इल्जाईमर रोग से पीड़ित है। अपीलार्थी के पिता की उम्र करीब 77 वर्ष है। अगर आलौच्य आदेश के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया तो अपीलार्थी के पिता को समय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए तथा दैनिक दिनचर्या के कार्यों में सहायता करने के लिए अपीलार्थी के अलावा अन्य कोई नहीं होने से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अपीलार्थी के पिता का ईलाज चल रहा है। अगर आलौच्य आदेश के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया तो अपीलार्थी को अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ेगा। अपीलार्थी राजस्थान वेटनरी चिकित्सक एसोसिएशन, राजस्थान का वरिष्ठ उपाध्यक्ष है तथा कर्मचारियों की समस्याओं से संबंधित समय–समय पर विभाग के उच्चाधिकारियों के समक्ष मांगों के संबंध में यूनियन के माध्यम से बात रखता रहा है। राज्य सरकार ने परिपत्र दिनांक 15.04.1978, 10.05.1984, 20.06.1967, 26.09.1989 व 07.09.1990 के माध्यम से सभी विभागाध्यक्षों को संघ के पदाधिकारियों के मुख्यालय से बाहर स्थानान्तरण नहीं करने के निर्देश भी दिये हुए है। दिनांक 20.06.1967 के आदेश में स्पष्ट रूप से यह निर्देश दिये है कि संघ के पदाधिकारी होने के आधार पर दूसरे जिले में स्थानान्तरण किया जाता है, वह गलत है। जिससे कर्मचारी संघ के कार्य भी प्रभावित होते है तथा समय–समय पर कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण में भी समस्या आती है। इसलिए संघ के पदाधिकारियों का एक जगह से दूसरी जगह पर पदस्थापन नहीं किया जाना चाहिए तथा अपीलार्थी संघ का वरिष्ठ उपाध्यक्ष होने के बावजूद अपीलार्थी को झालावाड़ में पदस्थापित नहीं करके बारां जिले में पदस्थापित किया गया है। माननीय अधिकरण ने भी राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 20.06.1967, 15.04.1978, 12.08.1980, 10.05.1989 एवं 07.09.1990 के विपरीत जाकर अपील संख्या 2426/2019 हरभान सिंह बनाम चिकित्सा विभाग में दिनांक 20.09.2019 नर्सेज एसोसिएशन का राज्य स्तरीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष होने के बावजूद दूसरे जिले में स्थानान्तरण करने पर अवैध व अनुचित मानते हुए स्थगन आदेश जारी किया है तथा अपील संख्या 1328/2018 में भी माननीय अधिकरण ने स्थगन आदेश जारी किया है। अपीलार्थी का प्रकरण भी समान तथ्यों पर आधारित है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि आलौच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 को अपास्त फरमाया जावे। अपीलार्थी को वर्तमान

पदस्थापन स्थान पशु चिकित्सक के पद पर पशु चिकित्सालय, पनवाड़, झालावाड़ में ही निरंतर पदस्थापित रखा जावें।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी अपील में अंकित तथ्यों के आधार पर प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहता है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपनी परिवेदना प्रस्तुत कर सके।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है। अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/ दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी दो सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि अधिकरण अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को किसी विशिष्ट तरीके से निस्तारित करने के संबंध में कोई आदेश नहीं दे रहा है।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य